उत्तर प्रदेश शासन

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाँट माप डे0ई0

संख्या-02/119/84-डे0ई0-15-40(15)/2010टी0सी0

लखनऊ :: दिनांक 10 फरवरी, 2015

<u>कार्यालय आदेश</u>

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) स्वीकृत करने संबंधी वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे-आ0-02-561/दस-62(एम0)/2008, दिनांक 04 मई, 2010 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या-वे-आ0-02-2118/दस-62(एम0)/2008, दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 के प्राविधानानुसार राज्य कर्मचारियों के लिए 10,16 एवं 26 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी) का लाभ अनुमन्य कराये जाने के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण एवं बाँट माप डेस्क इकाई के कार्यालय आदेश संख्या-912/84-डे0ई0-14-40(15)/2010, दिनांक 13-10-2014 द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है।

2- उक्त स्क्रीनिंग कमेटी में अध्यक्ष के रूप में नामित सन्ध्या तिवारी, विशेष सचिव के स्थानान्तरण के फलस्वरूप उनके स्थान पर प्रश्नगत स्क्रीनिंग कमेटी में एतद्द्वारा अध्यक्ष के रूप में श्री बी0के0 त्रिपाठी, विशेष सचिव, खाद्य एवं रसद तथा उपभोक्ता संरक्षण एवं बाँट माप विभाग को नामित किया जाता है। उक्त कार्यालय आदेश दिनांक 13-10-2014 के अन्य प्राविधान/शर्ते यथावत रहेंगी।

बी0एम0 मीना

प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-02/119(1)/84-डे0ई0-2015तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, विशेष सचिव, (बी0के0 त्रिपाठी) खाद्य एवं रसद विभाग।

2- संबंधित अधिकारीगण खाद्य तथा रसद विभाग एवं उपभोक्ता संरक्षण एवं बाँट माप विभाग।

3- खाद्य तथा रसद अनुभाग-1/उपभोक्ता संरक्षण एवं बाँट माप अनुभाग-1/2

4- अनुभाग अधिकारी (लेखा) खाद्य तथा रसद विभाग।

5- कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(शिव शंकर द्विवेदी)

अनु सचिव।

http://srcsanadesh.up.nic.in/go/